



तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,

३, महापालिका मार्ग, पत्र पेटी क्र. १९६७, मुंबई ४०० ००१.

दूरध्वनी : २६२०६०१, २६९०६०२, २६४९९५०/५१

फॅक्स : २६९२९०२, २६९००७

E-mail:- desk9@dtemaharashtra.gov.in Web:- <http://www.dte.org.in>

क्रमांक :- ९/वायो/वाटप/२०१८-१९/४२३

दिनांक :- 123 APR 2018

प्रति,

- १) प्राचार्य,
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये,
- २) प्राचार्य,
सर्व शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम पदविका संस्था
- ३) प्राचार्य,
सर्व शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये

विषय :- वार्षिक योजना २०१८-१९

विधीमंडळाच्या मार्च २०१८ च्या अधिवेशनाद्वारे अर्थसंकल्पात समाविष्ट झालेल्या राज्य योजनांतर्गत योजनांखालील तरतुदीचे योजनानिहाय, संस्थानिहाय व अर्थसंकल्पशिर्षनिहाय वाटप

वार्षिक योजना २०१८-२०१९ मध्ये विधीमंडळाच्या मार्च, २०१८ मधील अधिवेशनात अर्थसंकल्पात समाविष्ट झालेल्या राज्य योजनांतर्गत योजनांखालील महसुली खर्चा करीता शासनाने बी.डी.एस. द्वारे लेखाअनुदाना करीता खर्च करण्यास उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीचे योजनानिहाय, संस्थानिहाय व अर्थसंकल्पशिर्षनिहाय वाटप दर्शविणारे विवरणपत्र सोबत जोडले आहे. सदरच्या रकमा विहित कालावधीत खर्च करण्याच्या दृष्टीने खबरदारी घ्यावी. तसेच कॅश-फ्लो नुसार उपलब्ध करून दिलेल्या रकमा आपल्या आवश्यकते नुसार पुढे किंवा मागे ओढून घ्याव्यात व उपलब्ध असलेला निधी खर्च करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे व निधी पूर्णतः खर्ची घालण्याचे उद्दिष्ट साध्य करावे. आपल्या संस्थेस वितरीत केलेला निधी बराच कालावधीपर्यंत अखर्चित राहिल्यास कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय तो निधी काढून घेऊन इतर संस्थांच्या आवश्यकते नुसार त्यांना वितरीत करण्याचे अधिकार संचालक राखून ठेवीत आहेत.

सर्व संस्थाप्रमुखांनी त्यांच्या संस्थेशी संबंधित सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या अर्थसंकल्पित तरतुदींचा शासनाने विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार विनियोग करून प्रत्येक महिना अखेरपर्यंत झालेल्या खर्चाबाबतचा अहवाल विहित विवरणपत्रात भरून येणाऱ्या पुढील प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत या कार्यालयास सादर करावा व त्याची एक प्रत संबंधित विभागीय कार्यालयास न चुकता पाठवावी. तसेच वितरीत केलेली तरतूद ज्या लेखाशिर्षाखाली व मागणी क्रमांकाखाली दर्शविलेली आहे त्याच लेखाशिर्षाखाली व मागणी क्रमांकाखाली खर्ची टाकण्यात यावी जेणेकरून खर्चाची पडताळणी करणे विभागीय कार्यालयास सोईचे होईल.

इमारतीच्या बांधकामासाठी अर्थसंकल्पात समाविष्ट झालेल्या तरतुदींचा जरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खर्च करावयाचा असला तरीसुद्धा आपण आपल्या संस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने इमारतीच्या बांधकामासाठी अर्थसंकल्पात समाविष्ट केलेली तरतूद त्या विभागास कळवून ती पूर्णपणे उपयोगात आणली जाईल व इमारतीची बांधकामे जलद गतीने पूर्ण होतील या दृष्टीने संनियंत्रण करावे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे त्या दृष्टीने वेळोवेळी पाठपुरावा करावा. बांधकामासाठी मंजूर तरतूदीमधून केलेल्या खर्चाबाबत तसेच साध्य झालेल्या भौतिक प्रगतीबाबतचा अहवालसुद्धा या कार्यालयास वर नमूद केलेल्या तारखेपर्यंत पाठवावा. बांधकामावर झालेला खर्च व साध्य झालेल्या भौतिक प्रगतीबाबतचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करून घेऊन नियोजित वेळेत या कार्यालयास पाठविण्याबाबत संस्था प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. तसेच सर्व

E:\E DRIVE DATA\Suresh\XIIth Five Year Plan\PLAN 2018-19\Distribution 2018-

19 note.doc- 1 -

4/21/2018

आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या निधीच्या मर्यादेतच त्यांनी देयकांच्या ऑथोरायझेशन स्लीप जनरेट कराव्यात. आपल्या खाती शिल्लक असलेल्या निधीपेक्षा जास्त रकमेच्या ऑथोरायझेशन स्लीप जनरेट केल्यास ती वित्तीय अनियमीतता होईल व त्याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी तथा संस्थाप्रमुख म्हणून आपली राहिल. तसेच एखाद्या उद्येष्टाखली आपल्या संस्थेस निधी वितरीत केला नसल्यास त्याखाली कोणत्याही परिस्थितीत खर्च करू नये तसे केल्यास त्याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल. सदर आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेली रक्कम अन्य संस्थांना अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्यास कोणत्याही वेळी आपल्या खात्यातून निधी वळता करून इतर संस्थांना वितरीत करण्यात येईल व असा निधी वळता करून घेतल्यास त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

वाटप केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची माहिती शासनास विहित मुदतीत सादर करणे आवश्यक असल्यामुळे याबाबतचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूली व भांडवली खर्चाची माहिती या कार्यालयास वर नमूद केलेल्या तारखेपर्यंत पाठवावी. सदरहू माहिती दिलेल्या मुदतीत या कार्यालयास प्राप्त न झाल्यास विभाग प्रमुख / संस्था प्रमुख म्हणून आपणांस जबाबदार धरण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.

(डॉ. अभय वाघ) संचालक,
तंत्रशिक्षण, म.रा., मुंबई.

१. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण, विभागीय कार्यालय, मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर यांना कळविण्यांत येते की, आपल्या विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व संस्थांची खर्चाची माहिती एकत्रित करून विहित विवरणपत्रात भरून येणा-या पुढील प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत या कार्यालयास पाठवावी. केवळ संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या पत्रांच्या प्रती या कार्यालयास अग्रेषित करू नयेत तर त्यामध्ये असलेली माहिती एकत्रित करून पाठवावी. तसेच योजनांतर्गत उपलब्ध निधीतून खर्च झालेल्या निधीच्या खर्चमेळाचा ताळमेळ घालून त्याचा अहवाल या संचालनालयातील कार्यासन क्रमांक १५ यांना पाठवावा व त्याची एक प्रत या कार्यासनास न चुकता पाठवावी.
२. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन क्र.११, मुख्य कार्यालय, मुंबई यांना कळविण्यांत येते की, वितरीत केलेले अनुदान खर्च करण्याच्या दृष्टीने यंत्रसामुग्री, साधनसामुग्री व फर्निचर तसेच पुस्तक खरेदीची विहित प्रक्रिया त्वरीत सुरु करावी. जेणेकरून संस्था प्रमुखांना विहित मुदतीत सदर तरतुदींचा विनियोग करणे शक्य होईल व वित्तीय अनियमीतता होणार नाही.
३. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन क्र. १४ व १५, मुख्य कार्यालय, मुंबई माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी. (कार्यासन क्रमांक १५ यांना कळविण्यात येते की सोबत जोडलेल्या वाटपाच्या विवरणपत्रात नमूद संस्थांच्या समोर दर्शविलेल्या रकमा संबंधीत संस्थांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे खर्च करण्यास उपलब्ध करून द्याव्यात व त्याची प्रत या कार्यासनास उपलब्ध करून द्यावी.)

विवरणपत्र

वार्षिक योजना २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात महसूली खर्चासाठी समाविष्ट केलेल्या तरतुदीचे वाटप दर्शविणारे विवरणपत्र

बिगर अनुशेषांतर्गत योजना

| अ.क्र. | योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष | संस्थेचे / कार्यालयाचे नाव | उद्दिष्ट | मंजूर तरतूद (रु. लाखात) |
|-----------------------|---|--|----------------------------|----------|-------------------------|
| १ | शासकीय तंत्रनिकेतनांतील ग्रंथालयांचा विकास करणे | २२०३, तंत्रशिक्षण, १०५, तंत्रनिकेतने, - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - १०५ (००)(०५) - शासकीय तंत्रनिकेतनांतील ग्रंथालयांचा विकास करणे (२२०३ ०६८६) मागणी क्र. डब्ल्यु - ३ | शा.तं.नि. औरंगाबाद | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.बीड | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.हिंगोली | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि. अंबड | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.जालना | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.लातूर | | ४.०० |
| | | | शा.नि.म.तं.नि. लातूर | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.नांदेड | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि. उस्मानाबाद | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.जिंतूर | | ४.०० |
| | | | शा.मु.तं.सं.मुंबई | | १.५० |
| | | | शा.तं.नि.मुंबई | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.पेण | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.रत्नागिरी | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.मालवण | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.ठाणे | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.विक्रमगड | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.साकोली | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.ब्रम्हपूरी | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.गडचिरोली | | ४.०० |
| शा.तं.नि.गोंदीया | | ४.०० | | | |
| शा.तं.नि.अमरावती | | ४.०० | | | |
| शा.तं.नि.खामगाव | | ४.०० | | | |
| शा.तं.नि.वाशिम | | ४.०० | | | |
| शा.नि.म.तं.नि. यवतमाळ | | ४.०० | | | |

| अ.क्र. | योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष | संस्थेचे / कार्यालयाचे नाव | उद्दिष्ट | मंजूर तरतूद (रु. लाखात) |
|--------------------|---|--|----------------------------|----------|-------------------------|
| १ | शासकीय तंत्रनिकेतनांतील ग्रंथालयांचा विकास करणे | २२०३, तंत्रशिक्षण, १०५, तंत्रनिकेतने, - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - १०५ (००)(०५) - शासकीय तंत्रनिकेतनांतील ग्रंथालयांचा विकास करणे (२२०३ ०६८६) मागणी क्र. डब्ल्यु - ३ | शा.तं.नि.मूर्तिजापूर | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.यवतमाळ | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि. अचलपूर | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.नागपूर | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि. आर्वी | | ४.०० |
| | | | शा.हॉ.मं.अ.कॅ.नागपूर | | १.५० |
| | | | शा.तं.नि.अहमदनगर | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.धुळे | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.जळगाव | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.जंदूरबार | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.नाशिक | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.कोल्हापूर | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.अवसरी (खुर्द) | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.पुणे | | ४.०० |
| | | | शा.नि.म.तं.नि.तासगाव | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.मिरज | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि.कराड | | ४.०० |
| शा.तं.नि. सोलापूर | | ४.०० | | | |
| शा.हॉ.मं.अ.कॅ.पुणे | | १.५० | | | |
| | | एकूण १ | | | १६८.५० |
| २ | पदविका अभ्यासक्रमाची कमतरता दूर करणे | २२०३, तंत्रशिक्षण, १०५, तंत्रनिकेतने, - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - १०५ (००)(०५) - पदविका अभ्यासक्रमाची कमतरता दूर करणे (२२०३ ०२११) मागणी क्र. डब्ल्यु - ३ | शा.तं.नि.आर्वी | ०१, वेतन | १२.०० |
| | | | शा.तं.नि. मिरज | | २.०० |
| | | एकूण २ | | | १४.०० |

| अ.क्र. | योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष | संस्थेचे / कार्यालयाचे नाव | उद्दिष्ट | मंजूर तरतूद (रु. लाखात) |
|--------------------|---|--|----------------------------|--|-------------------------|
| ३ | शासकीय तंत्र निकेतनांमधील पदविका अभ्यासक्रमाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करणे, (अनुशेषांतर्गत योजना) | २२०३, तंत्रशिक्षण - १०५, तंत्रनिकेतने - ८०० इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - १०५ - (००)(०२) प्रादेशिक असमतोल दूर करणे (२२०३ ०४९९) मागणी क्रमांक डब्ल्यु. - ७ | शा.तं.नि. हिंगोली | ०१ - वेतन | २६१.७२ |
| | | | शा.तं.नि. गोदिया | | ३७५.०८ |
| | | | शा.तं.नि. नंदुरबार | | २८१.२९ |
| | | | शा.तं.नि. विक्रमगड | | ३९५.३४ |
| | | | एकूण ३(१) | | १३२७.२४ |
| | | | शा.तं.नि. हिंगोली | * ०६ - दूरध्वनी, वीज व पाणी देयके | १०.०० |
| | | | शा.तं.नि. गोदिया | | १०.०० |
| | | | शा.तं.नि. नंदुरबार | | १०.०० |
| | | | शा.तं.नि. विक्रमगड | | १०.०० |
| | | | एकूण ३(२) | | ४०.०० |
| | | | शा.तं.नि. हिंगोली | १० - कंत्राटी पध्दतीवर घेतलेल्या सेवेवरील खर्च | १.५० |
| | | | शा.तं.नि. गोदिया | | १.५० |
| | | | शा.तं.नि. नंदुरबार | | १.५० |
| | | | शा.तं.नि. विक्रमगड | | १.५० |
| | | | एकूण ३(३) | | ६.०० |
| | | | शा.तं.नि. हिंगोली | १३ - कार्यालयीन खर्च | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि. गोदिया | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि. नंदुरबार | | ४.०० |
| | | | शा.तं.नि. विक्रमगड | | ४.०० |
| | | | एकूण ३(४) | | १६.०० |
| शा.तं.नि. हिंगोली | १७ - संगणक खर्च | २.०० | | | |
| शा.तं.नि. गोदिया | | २.०० | | | |
| शा.तं.नि. नंदुरबार | | २.०० | | | |
| शा.तं.नि. विक्रमगड | | २.०० | | | |
| एकूण ३(५) | | ८.०० | | | |

| अ.क्र. | योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष | संस्थेचे / कार्यालयाचे नाव | उद्दिष्ट | मंजूर तरतूद (रु. लाखात) |
|------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| २ | शासकीय तंत्र निकेतनांमधील पदविका अभ्यासक्रमाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करणे, (अनुशेषांतर्गत योजना) | २२०३, तंत्रशिक्षण - १०५, तंत्रनिकेतने - ८०० इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - १०५ - (००)(०२) प्रादेशिक असमतोल दूर करणे (२२०३ ०४९९) मागणी क्रमांक डब्ल्यु. - ७ | शा.तं.नि. हिंगोली | ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च | ०.५० |
| | | | शा.तं.नि. गोदिया | | ०.५० |
| | | | शा.तं.नि. नंदुरबार | | ०.५० |
| | | | शा.तं.नि. विक्रमगड | | ०.५० |
| | | | एकूण ३(६) | | २.०० |
| | | | शा.तं.नि. हिंगोली | २१, पुरवठा व सामुग्री | ३.०० |
| | | | शा.तं.नि. गोदिया | | ३.०० |
| | | | शा.तं.नि. नंदुरबार | | ३.०० |
| | | | शा.तं.नि. विक्रमगड | | ३.०० |
| | | | एकूण ३(७) | | १२.०० |
| | | | शा.तं.नि. हिंगोली | २८, पी.पी.एस. एस. | १५.०० |
| | | | शा.तं.नि. गोदिया | | १५.०० |
| | | | शा.तं.नि. नंदुरबार | | १५.०० |
| | | | शा.तं.नि. विक्रमगड | | १५.०० |
| | | | एकूण ३(८) | | ६०.०० |
| | | | शा.तं.नि. हिंगोली | ५०, इतर खर्च | ३.०० |
| | | | शा.तं.नि. गोदिया | | ३.०० |
| | | | शा.तं.नि. नंदुरबार | | ३.०० |
| | | | शा.तं.नि. विक्रमगड | | ३.०० |
| | | | एकूण ३(९) | | १२.०० |
| एकूण ३ (१ ते ९) | | | | | १४८३.२४ |
| ४ | शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये दुसरी पाळी सुरु करणे | २२०३ - तंत्रशिक्षण, १०५ तंत्रनिकेतने पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - १०५ (००)(११) शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये दोन सत्र सुरु करणे (२२०३ २७६९) मागणी क्र. डब्ल्यु ३ - | शा.तं.नि. मुंबई | ०१, वेतन | ५०.०० |
| | | | शा.तं.नि. पुणे | | ५०.०० |
| | | | शा.तं.नि. कोल्हापूर | ५०.०० | ५०.०० |
| | | | शा.तं.नि. नाशिक | | ५०.०० |
| | | | शा.तं.नि. औरंगाबाद | | ५०.०० |
| | | | शा.तं.नि. अमरावती | | ५०.०० |
| शा.तं.नि. नागपूर | ५०.०० | | | | |
| एकूण ४ (१) | | ३५०.०० | | | |

| अ.क्र. | योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष | संस्थेचे / कार्यालयाचे नाव | उद्दिष्ट | मंजूर तरतूद (रु. लाखात) |
|--------|---|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| ४ | शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये दुसरी पाळी सुरु करणे | २२०३ - तंत्रशिक्षण, १०५ तंत्रनिकेतने पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - १०५ (००)(११) शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये दोन सत्र सुरु करणे (२२०३ २७६९) मागणी क्र. डब्ल्यु ३ - | शा.तं.नि. मुंबई | २८ - पी.पी.एस. एस | ५.०० |
| | | | शा.तं.नि. पुणे | | ५.०० |
| | | | शा.तं.नि. कोल्हापूर | | २.५० |
| | | | शा.तं.नि. नाशिक | | ५.०० |
| | | | शा.तं.नि. औरंगाबाद | | ५.०० |
| | | | शा.तं.नि. अमरावती | | ५.०० |
| | | | शा.तं.नि. नागपूर | | ५.०० |
| | | एकूण ४ (२) | | | ३२.५० |
| | | एकूण ४ (१ व २) | | | ३८२.५० |
| ५ | शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील ग्रंथालयांचा विकास करणे | २२०३, तंत्रशिक्षण, ११२, अभियांत्रिकी महाविद्यालये व संस्था - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - ११२ (००)(०६) - शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील ग्रंथालयांचा विकास (२२०३ ०७०१) मागणी क्र. डब्ल्यु - ३ | शा.अ.म.अमरावती | २१ - सामुग्री व पुरवठा | ४.५० |
| | | | शा.अ.म. औरंगाबाद | | ३.५० |
| | | | शा.अ.म.चंद्रपूर | | ३.५० |
| | | | शा.अ.म.जळगाव | | ३.५० |
| | | | शा.अ.म.कराड | | ३.५० |
| | | | शा.अ.म.अवसरी (खुर्द) | | ३.५० |
| | | | शा.औ.नि.शा.म. अमरावती | | ३.५० |
| | | | शा.औ.नि.शा.म. औरंगाबाद | | ३.५० |
| | | | शा.औ.नि.शा.म. कराड | | २.०० |
| | | | शा.औ.नि.शा.म. रत्नागिरी | | ३.०० |
| | | एकूण ५ | | | ३४.०० |
| | | एकूण १ ते ५ | | | २०८२.२४ |